

2025/949

“खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र”

(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

संसद उप खण्ड अधिकारी महोदय
जमवारा मण्डल

ग्रामीण सेवा शिविर एवं
कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग दिनांक 16.10.25

महोदय

उपर्युक्त विषयवस्तुगत निवेदन है कि ग्राम गोडिमाना की जमाबंदी

संवत् 2076-2079 (वर्ष 2019) में 62, 63 में

धीमान जी निवेदन है कि जार्जी का नाम मनोज कुमार
पुत्र पप्पू नाम जार्जी है जबकि जार्जी का नाम जमाबंदी
में विनोद कुमार पुत्र पप्पू है।
अतः जार्जी का नाम जमाबंदी में मनोज कुमार पि
पप्पू लुप्त करने की कृपा करें।

उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमानों की कृपा करें।

मनोज कुमार
प्रार्थी

दिनांक:

रिपोर्ट पटवारी च भू.अ.नि.

धीमान जी

मुताबिक वर्तमान जमाबंदी वाले ग्राम गोडिमाना के
खाला सं. 62, 63 में जार्जी का नाम विनोद कुमार पुत्र पप्पू
इस रिपोर्ट है जबकि जार्जी के इलाके में (आधार कार्ड, राशन कार्ड,
अध्याधार कार्ड, सरपंच द्वारा जारी अनुशोषा प्रमाणपत्र) में जार्जी
का नाम मनोज कुमार पुत्र पप्पू है। अतः संलग्न इलाके के आधार पर
रिपोर्ट तहसीलदार/बायब तहसीलदार जार्जी का नाम विनोद कुमार पुत्र पप्पू के बजाय विनोद कुमार पुत्र
मनोज कुमार पुत्र पप्पू लुप्त किया जाना उचित होगा।

Report मुताबिक (L.R) धीमान जी का नाम जार्जी का नाम जार्जी का नाम जार्जी
नाम जार्जी का नाम जार्जी का नाम जार्जी का नाम जार्जी
16.10.25

तहसीलदार
जमवारा मण्डल (जयपुर)

अदेश
मुताबिक पटवारी रिपोर्ट व आर्ड-एल-आर रिपोर्ट व जांच तहसीलदार
जमवारा मण्डल से अनुशोषा के पश्चात् ग्राम- गोडिमाना के खाला सं. 62, 63
में आवेदन पत्रानुसार विनोद कुमार की जगह मनोज कुमार पुत्र पप्पू
दर्ज किया जावे।

विनोद कुमार उर्फ

उप खण्ड अधिकारी एवं
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
जमवारा मण्डल
17/10/25

366
2025

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी
क संलग्न इलाके में एवं
जोका फर्क प्रकृत प्रकृत
शुद्ध व जारी किया है।

16.10.25
अ.अ.अ.अ.अ.अ.